राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 (एनआरईजीए)

दूसरे साल की रिपोर्ट
अप्रैल 2006 – मार्च 2007

ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग
भारत सरकार
नई दिल्ली

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 (एनआरईजीए)

दूसरे साल का रिपोर्ट

अप्रैल 2006–मार्च 2007

सत्यमेव जयते

ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग
भारत सरकार
नई दिल्ली

विषय-सूची

संदेश i

1. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम : मुख्य विशेषताएं 1

2. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम : कार्यक्रम क्रियान्वयन 7

3. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम : कार्यक्रम के परिणाम 11

परिशिष्ट

1. एनआरईजीए के अंतर्गत पहले चरण में आने वाले 200 जिलों की सूची (2006-07) 17

2. एनआरईजीए के अंतर्गत दूसरे चरण में आने वाले 130 जिलों की सूची (2006-07) 21

3. एनआरईजीए परिषद की स्थिति (31 मार्च 2007 तक) 24

4. राष्ट्रीय स्तर के निगरानी कर्त्ताओं द्वारा चरण 1-2 के जिलों का दौरा 25

5. एनआरईजीए के अंतर्गत रोजगार संवर्धन की रिपोर्ट, वित्त वर्ष 2006–07 के लिए (31 मार्च 2007 तक) 32

6. वित्त वर्ष 2007–08 दौरान एनआरईजीए के अंतर्गत शुरू किए गए कामों की रिपोर्ट (31 मार्च 2007 तक) 33

7. एनआरईजीए के अंतर्गत अनुदानों का उपयोग, वित्त वर्ष 2006–07 के लिए (31 मार्च 2007 तक) 36

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह
DR. RAGHUVANSH PRASAD SINGH

सत्यमेव जयते

ग्रामीण विकास मंत्री
भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली – 110 001
MINISTER OF RURAL DEVELOPMENT
GOVERNMENT OF INDIA
KRISHI BHAWAN, NEW DELHI - 110 001

संदेश

संसद के समक्ष विचार हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एनआरईजीए) के कार्यान्वयन की दूसरी वार्षिक रिपोर्ट, 2006–07 प्रस्तुत करना गर्व की बात है। इस अधिनियम में पारदर्शिता तथा जनसमुदाय को इसके बारे में पूरी जानकारी देने पर बल दिया गया है। अधिनियम की धारा 11 (1.एफ) के अंतर्गत इस अधिनियम के कार्यान्वयन के बारे में केन्द्र सरकार द्वारा संसद के समक्ष वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होती है। इस संदर्भ में वार्षिक रिपोर्ट संसद के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है।

रोजगार प्रदान करने के सांविधिक समयबद्ध प्रावधान, मांग आधारित दृष्टिकोण, कार्य आधारित होने के बजाय रोजगार सृजन पर बल, जवाबदेही और पारदर्शिता पर विशेष ध्यान और रोजगार न मिलने पर प्रतिपूर्ति (बेरोजगारी भत्ते के रूप में) जैसी विशेषताओं के कारण अधिनियम ने देश के ग्रामीण लोगों में काफी रुचि पैदा की है। अधिनियम के द्वारा मजदूरी रोजगार कार्यक्रमों की हमारी पूर्व योजनाओं के दृष्टिकोण एवं रणनीति, दोनों में ही उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है।

मजदूरी रोजगार कार्यक्रम के रूप में एनआरईजीए का यह भी प्रयास है कि इससे ग्राम स्तर पर कुंओं, टैंकों, तालाबों, सड़कों इत्यादि जैसी उत्पादनशील परिसंपत्तियों का सृजन हो। इससे हमारे प्राकृतिक संसाधन आधार को पुनः सृजित किया जा सकेगा जिससे हमारी कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो सकेगी।

पारदर्शिता एनआरईजीए का अभिन्न अंग है। हमने मस्टर रोल की सार्वजनिक समीक्षा पर बल दिया है। गौरतलब है कि कई राज्यों ने एनआरईजीए के कार्यान्वयन की संवीक्षा गैर–सरकारी संगठनों तथा स्वतंत्र समूहों से करवाई है। उसकी ऑनलाइन निगरानी भी की जा सकती है। मेरे मंत्रालय ने ही 331 स्वतंत्र निगरानीकर्ताओं की नियुक्ति की है।

इसके अलावा, प्रत्येक परियोजना के लिए स्थानीय स्तर पर स्वतंत्र सतर्कता समितियों के गठन का प्रावधान है।

एनआरईजीए एक जन अधिनियम है। हमें पारदर्शिता, सतर्कता, जन भागीदारी और सार्वजनिक जवाबदेही की भावना के साथ एनआरईजीए को कार्यान्वित करना है। इसी भावना से, मैं संसद के समक्ष एनआरईजीए की दूसरी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूं।

(रघुवंश प्रसाद सिंह)

1

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम : मुख्य विशेषताएं

1. रोजगार कार्यक्रमों का औचित्य

देश के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले ज्यादातर गरीब लोग अकुशल, दिहाड़ी, शारीरिक मजदूरी से मिलने वाली मजदूरी पर आश्रित रहते हैं। वे अकसर न्यूनतम साधनों से अपना गुजारा करते हैं और गहन गरीबी की निरंतर आशंका में जीते हैं। श्रम की अपर्याप्त मांग तथा प्राकृतिक आपदा अथवा बीमारी जैसे अनपेक्षित संकट, ये सभी उनके रोजगार अवसरों पर बहुत बुरा असर डालते हैं।

विकसित और विकासशील देशों में गरीबी और बेरोजगारी से निपटने के लिए ऐसे रोजगार कार्यक्रम बहुत लंबे समय से काफी महत्वपूर्ण रहे हैं। इन कार्यक्रमों में सिंचाई, वृक्षारोपण, जल संरक्षण एवं सड़क निर्माण जैसी सार्वजनिक परियोजनाओं में सीमित अवधि के लिए अकुशल शारीरिक श्रम मुहैया कराया जाता है।

चित्तूर जिले में कोलाफार्म तालाब से रेत की निकासी (आंध्र प्रदेश)

रोजगार कार्यक्रमों का औचित्य कुछ बुनियादी मान्यताओं पर आधारित है। इस तरह के कार्यक्रम संकट के समय गरीब परिवारों को आय का जरिया उपलब्ध कराते हैं और उन्हें उपभोग स्तर बनाए रखने में मदद देते हैं। ये कार्यक्रम उन दिनों या सालों में खासतौर से उपयोगी साबित होते हैं जब खेतिहर रोजगार कम होते हैं। भारी बेरोजगारी वाले देशों में रोजगार कार्यक्रमों से मिलने वाले ये आय स्थानांतरण लाभ गरीबी को बढ़ने से रोकते हैं। इन कार्यक्रमों के कारण स्थाई संपदाओं का निर्माण होता है जिनके कारण दूसरे चक्र के रोजगार भी पैदा होने लगते हैं क्योंकि उनके लिए जरूरी बुनियादी ढांचा अस्तित्व में आ जाता है।

2. भारत में रोजगार कार्यक्रम

ग्रामीण इलाकों में मौजूदा आजीविका स्रोतों को और बढ़ाने के लिए एक व्यवस्था विकसित करने की जरूरत विकास नियोजन के शुरुआती दौर में ही महसूस की जाने लगी थी। इस जरूरत को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कई रोजगार कार्यक्रम शुरू किए जिनमें न्यूनतम मजदूरी के आधार पर सार्वजनिक कार्यक्रमों में लोगों को रोजगार दिया जाता था। मजदूरी आधारित रोजगार कार्यक्रमों को प्रायोगिक स्तर पर रूरल मैनपावर (आरएमपी) (1960–1961), क्रेश स्कीम फॉर रूरल एम्प्लॉयमेंट (सीआरएसई) (1971–72), नमूना सघन ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (पीआईआरईपी) (1972), लघु कृषक विकास एजेंसी (एसएफडीए), सीमांत कृषक एवं कृषि श्रमिक योजना (एमएफएएल) आदि कार्यक्रमों

के रूप में शुरू किया गया था। 1977 में काम के बदले भोजन योजना (एफडब्ल्यूपी) के जरिए इन कार्यक्रमों को एक संपूर्ण मजदूरी आधारित कार्यक्रम में रूपांतरित कर दिया गया। अस्सी के दशक में इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एनआरईपी) तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम (आरएलईजीपी) के रूप में और ठोस रूप दिया गया। जवाहर रोजगार योजना (जेआरवाई) (1993–94), रोजगार आश्वासन योजना (ईएएस) को मिलाकर 1999–2000 से जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (जेजीएसवाई) शुरू की गई और इसे एक ग्रामीण अवरचनागत कार्यक्रम बना दिया गया। 2000–01 से इस कार्यक्रम को संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई) में तथा 2005 से राष्ट्रीय काम के बदले भोजन कार्यक्रम (एनएफएफडब्ल्यूपी) (2005) में मिला दिया गया। केंद्र सरकार की सहायता से राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित किए गए ये वेतन आधारित रोजगार कार्यक्रम स्वलक्ष्य निर्धारण की पद्धति पर आधारित थे तथा इनका उद्देश्य दिहाड़ी शारीरिक श्रम पर आश्रित गरीबों को बेहतर रोजगार सुरक्षा उपलब्ध कराना था। राज्य स्तर पर महाराष्ट्र सरकार ने जरूरतमंद लोगों को वेतन आधारित रोजगार मुहैया कराने के लिए महाराष्ट्र रोजगार गारंटी योजना तथा महाराष्ट्र रोजगार गारंटी अधिनियम, 1977 सूत्रबद्ध किया।

3. एनआरईजीए–मजदूरी आधारित रोजगार कार्यक्रमों को वैधानिक स्वरूप प्रदान करना

इन कार्यक्रमों से मिले अनुभवों के आधार पर ग्रामीण इलाकों में आजीविका सुरक्षा की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एनआरईजीए) पारित किया गया। यह कानून 7 सितंबर 2005 को अधिसूचित किया गया। एनआरईजीए का महत्व इस बात में निहित है कि यह कानून मजदूरी आधारित रोजगार कार्यक्रमों को अधिकार केंद्रित नजिरये से देखता है और रोजगार मांगने वालों के लिए रोजगार की व्यवस्था करना सरकार की कानूनी जिम्मेदारी बनाता है। इस लिहाज से देखा जाए तो यह कानून केवल सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था नहीं करता बल्कि रोजगार अधिकार की गारंटी देता है।

4. एनआरईजीए का उद्देश्य

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एनआरईजीए) का लक्ष्य यह है कि ग्रामीण इलाकों में लोगों की आजीविका सुरक्षा को पुष्ट करने के लिए एक वित्त वर्ष के दौरान ऐसे प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कम से कम 100 दिन का मजदूरी आधारित रोजगार मुहैया कराया जाए जिसके सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार हैं। इस कानून का दूसरा मकसद स्थायी संपदाओं को निर्माण करना और ग्रामीण गरीबों के आजीविका संसाधन आधार को मजबूती देना है। इस अधिनियम में सुझाए गए कामों में सूखा, वन विनाश, मृदा क्षरण, आदि ऐसे कारणों को दूर करने का प्रयास किया गया है जो स्थायी गरीबी को जन्म देते हैं। इसके पीछे यही सोच रही है कि रोजगार संवर्द्धन की प्रक्रिया एक टिकाऊ आधार पर चलती रहे।

5. एनआरईजीए का दायरा

यह कानून केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों में लागू किया गया है और अधिसूचना की तारीख के बाद 5 साल के भीतर इसे पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। पहले चरण में इस कानून को देश के 200 जिलों में अधिसूचित किया गया था। इन अधिसूचित जिलों की सूची **परिशिष्ट 1** में दी गई है।

6. अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ

इस अधिनियम की विशेषताओं का सार–संकलन इस प्रकार है:

क) किसी भी ऐसे ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य रोजगार के लिए आवेदन दे सकते हैं जो अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार हैं।

ख) ऐसे परिवार को योजना का लाभ उठाने के लिए लिखित या मौखिक तौर पर स्थानीय ग्राम पंचायत में पंजीकरण कराना होगा।

ग) समुचित जांच के बाद ग्राम पंचायत आवेदक परिवार को एक जॉब कार्ड जारी करेगी। यह कार्ड पूरे परिवार के लिए एक ही होगा। जॉब कार्ड पर परिवार के उन सभी वयस्क सदस्यों के फोटो लगे होंगे जो एनआरईजीए के अंतर्गत काम करना चाहते हैं। यह फोटोयुक्त जॉब कार्ड आवेदक को निशुल्क दिया जाएगा।

घ) जिस परिवार को जॉब कार्ड मिल चुका है वह रोजगार की मांग करते हुए ग्राम पंचायत को लिखित आवेदन दे सकता है। आवेदन में इस बात का उल्लेख करना होगा कि आवेदक कब और किस अवधि के दौरान रोजगार चाहते हैं। न्यूनतम 15 दिन का रोजगार जरूर दिया जाएगा।

च) ग्राम पंचायत रोजगार के लिए अर्जी मिलने पर आवेदक को तिथियुक्त पावती रसीद जारी करेगी। इस पर्ची पर दी गई तारीख के 15 दिनों के भीतर आवेदक को रोजगार मुहैया कराना जरूरी होगा।

छ) रोजगार के इच्छुक व्यक्ति को आवेदन जमा कराने के 15 दिनों के भीतर रोजगार दिया जाएगा।

ज) अगर 15 दिनों के भीतर आवेदक को रोजगार नहीं मिलता है तो उसे नकद दैनिक बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। बेरोजगारी भत्ते के भुगतान की जिम्मेदारी राज्य सरकारों को वहन करनी होगी।

झ) जिन लोगों को रोजगार दिया गया है उनमें से कम से कम एक तिहाई महिलाएं होंगी।

ट) मजदूरी का हिसाब संबंधित राज्य में खेतिहर मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के आधार पर लगाया जाएगा। यदि केंद्र सरकार कोई मजदूरी दर अधिसूचित करती है तो उसी को लागू किया जाएगा और यह दर 60 रुपए प्रतिदिन से कम नहीं होगी।

ठ) मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक आधार पर होगा। किसी भी काम के लिए अधिकतम 15 दिन के भीतर मजदूरी भुगतान अनिवार्य होगा।

ड़) नियोजन और क्रियान्वयन में पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) की केंद्रिय भूमिका होगी।

ढ) प्रत्येक जिले को परियोजनाओं की एक सूची तैयार करनी होगी। रोजगार मुहैया कराने के लिए योजनाओं को अधिनियम के अंतर्गत स्वीकार्य कार्यों की सूची में से चुना जाएगा। स्वीकार्य कार्यों की विभिन्न श्रेणियां इस प्रकार हैं :

विजयानगरम का एक कार्यस्थल (आंध्र प्रदेश)

- जल संरक्षण
- सूखे की रोकथाम (वृक्षारोपण और वनारोपण सहित)
- बाढ़ सुरक्षा
- भूमि विकास
- अनुसूचित जनजाति/गरीबी की रेखा से नीचे (बीपीएल)/इंदिरा आवास योजना लाभान्वितों तथा भूमि सुधार लाभान्वितों की जमीन के लिए लघु सिंचाई, बागवानी एवं भूमि विकास
- ग्रामीण संपर्क मार्गों का निर्माण

परियोजनाओं की सूची ग्राम सभा द्वारा तय की गई प्राथमिकता के आधार पर बनाई जाएगी। कम से कम 50 फीसदी कामों के क्रियान्वयन का जिम्मा ग्राम पंचायतों को दिया जाएगा। मजदूरी और वस्तु अनुपात 60:40 का रहेगा। ठेकेदारों तथा श्रम विस्थापन मशीनरी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जाएगा।

त) आवेदकों को गांव के 5 किलोमीटर दायरे में रोजगार मुहैया कराया जाएगा। यदि कार्यस्थल इससे ज्यादा दूर है तो उन्हें 10 प्रतिशत अतिरिक्त वेतन दिया जाएगा।

थ) कार्यस्थल पर क्रेच, पीने के पानी, छाया आदि सुविधाओं का इंतजाम किया जाएगा।

द) ग्राम सभा कार्यों का सामाजिक लेखाओं की संपरीक्षा करेगी।

ध) संवेदनशील और जवाबदेह क्रियान्वयन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए शिकायत के निपटारे की व्यवस्था होगी।

न) अगर कोई व्यक्ति योजना से संबंधित सभी खाते और रिकॉर्ड देखना चाहता है तो एक निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर उसे सभी दस्तावेजों की प्रतियां हासिल करने का अधिकार होगा।

7. वित्त पोषण

निम्नलिखित के मद में आने वाली लागत केंद्र सरकार वहन करेगी :

- अकुशल शारीरिक श्रमिकों के वेतन की पूरी लागत।
- सामग्री लागत तथा कुशल एवं अर्द्धकुशल मजदूरों के वेतन का 75 प्रतिशत अंश।
- प्रशासकीय व्यय जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा और जिनमें कार्यक्रम अधिकारी तथा उसके सहायक कर्मचारियों का वेतन व भत्ते तथा कार्यस्थल सुविधाओं की लागत शामिल होगी।
- राष्ट्रीय रोजगार गारंटी परिषद के खर्चे।

निम्नलिखित व्यय राज्य सरकार को वहन करने होंगे :

- सामग्री की लागत तथा कुशल व अर्द्धकुशल मजदूरों के वेतन का 25 प्रतिशत अंश।
- यदि राज्य सरकार समय पर मजदूरी आधारित रोजगार मुहैया नहीं करा पाती है तो बेरोजगारी भत्ते का भुगतान।
- राज्य रोजगार गारंटी परिषद् के प्रशासकीय खर्चे।

सभी जिलों में एनआरईजीए के अनुदान के लिए अलग से खाते खोले गए हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से निर्धारित दिशानिर्देशों के आधार पर अपने प्रस्ताव जमा करा दिये हैं ताकि प्रत्येक स्तर पर अनुदानों का कुशलतापूर्वक वितरण किया जा सके और मांग की पूर्ति के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराया जा सके। एनआरईजीए के अंतर्गत अनुदान जारी करना परिणामों के आर्थिक एवं भौतिक संकेतकों के आकलन पर आधारित होगा।

8. एनआरईजीए – अवधारणागत बदलाव

एनआरईजीए पहले वाले मजदूरी आधारित कार्यक्रमों के मुकाबले अवधारणा के स्तर पर एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत देता है। एनआरईजीए मजदूरी आधारित रोजगार की वैधानिक गारंटी देता है। यानी, यह कानून रोजगार को एक कानूनी आधार प्रदान करता है। इस नई व्यवस्था में रोजगार इस बात पर निर्भर होगा कि मजदूर पंजीकरण के लिए

चौबे श्येर, महादेबपुर, जिला पुरलिया, पश्चिम बंगाल

आवेदन देना चाहता है और जॉब कार्ड हासिल कर चुका है और इसके बाद वह अपनी इच्छा के अनुसार निश्चित समय और अवधि में रोजगार के लिए मांग करता है। यह कानूनी गारंटी निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरी करनी होगी और यह जनादेश बेरोजगारी भत्ते की व्यवस्था से भी जुड़ा हुआ है। इस तरह, यह कानून राज्य सरकारों को रोजगार मुहैया कराने के लिए उत्प्रेरक देने की सोच पर आधारित है क्योंकि रोजगार की 90 प्रतिशत लागत केंद्र सरकार को ही वहन करनी है। लेकिन अगर राज्य सरकार मांग के अनुरूप रोजगार मुहैया नहीं करा पाती है तो उसे दोहरा नुकसान उठाना होगा। तब उसे बेरोजगारी से होने वाले नुकसानों के साथ–साथ बेरोजगारी भत्ते का भुगतान भी करना होगा। पहले वाले मजदूरी आधारित रोजगार कार्यक्रम आबंटन पर आधारित होते थे जबकि एनआरईजीए आपूर्ति केंद्रित नहीं बल्कि मांग केंद्रित व्यवस्था है। एनआरईजीए के अंतर्गत संसाधन हस्तांतरण रोजगार की मांग पर आधारित होता है और यह राज्य सरकारों के लिए एक और महत्वपूर्ण उत्प्रेरक है। सार्वजनिक प्रबंधन व्यवस्था को भी जवाबदेह बनाया गया है क्योंकि एनआरईजीए के परिणामों की वार्षिक रिपोर्ट केंद्र सरकार द्वारा संसद में तथा राज्य सरकार द्वारा राज्य विधायिका के सामने प्रस्तुत की जानी है।

9. एनआरईजीए अधिनियम, 2005 में संशोधन

जमीनी अनुभव को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की अनुसूचियों में संशोधन किए गए हैं। इनमें निम्नलिखित संशोधन शामिल हैं:

i) एनआरईजीए अधिनियम के अनुच्छेद 4(1) के अनुसार प्रत्येक राज्य सरकार को अधिनियम के प्रावधानों को साकार करने के लिए एक योजना बनाने और उसे अधिसूचित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कुछ राज्य सरकारें निर्धारित समयसीमा के भीतर ऐसी योजनाएं नहीं बना सकीं। फलस्वरूप, संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 4 के अनुच्छेद 1 में तय की गई 6 माह की अवधि को *बढ़ाकर एक वर्ष कर दिया गया है।* (अधिसूचना तिथि 4–1–2007)।

चरागाह भूमि विकास, जिला उदयपुर, राजस्थान

ii) एनआरईजीए अधिनियिम, 2005 की अनुसूची 1 को निम्न प्रकार संशोधित किया गया है :

(क) पैराग्राफ 1 से पहले निम्नलिखित अंश शामिल किया गया है :

''1ए. सभी राज्यों द्वारा अनुच्छेद 4 के अंतर्गत अधिसूचित योजना को 'राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना' कहा जाएगा। इस नाम के आखिर में संबंधित राज्य का नाम होगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम से संबंधित सभी दस्तावेजों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एनआरईजीएस) का उल्लेख जरूर होगा।''

(ख) पैराग्राफ 1 में उप–पैराग्राफ 4 के स्थान पर निम्नलिखित को रखा गया है :

''(IV) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों या गरीबी की रेखा से नीचे (बीपीएल) के परिवारों या भूमि सुधार लाभान्वितों या इंदिरा आवास योजना लाभान्वितों के परिवारों के स्वामित्व वाली सिंचाई सुविधाओं, बागवानी तथा भूमि विकास सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी।''

iii) एनआरईजीए अधिनियम की अनुसूची 2 में योजना के अंतर्गत काम शुरू करने के लिए जरूरी मजदूरों की संख्या पैराग्राफ 13 के उप–पैराग्राफ (ए) में दी गई है जिसे 50 से घटाकर 10 कर दिया गया है।

10. एनआरईजी (जम्मू एवं कश्मीर विस्तार) विधेयक, 2007

अधिनियम को जम्मू कश्मीर राज्य में भी लागू करने के लिए एनआरईजीए अधिनियम के अनुच्छेद 1(2) में संशोधन करने के उद्देश्य से 7.3.2007 को लोक सभा में 'एनआरईजी (जम्मू एवं कश्मीर विस्तार) विधेयक, 2007' के नाम से एक विधेयक प्रस्तुत किया गया। 19.3.2007 को लोक सभा ने इस विधेयक को पारित कर दिया गया और विचारार्थ राज्य सभा को भेज दिया गया था। राज्य सभा ने भी 27.4.2007 को यह विधेयक पारित कर दिया। इस विधेयक पर 11.5.2007 को राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी दी और 12.5.2007 से उसे जम्मू एवं कश्मीर में लागू कर दिया गया है।

11. अतिरिक्त जिलों में एनआरईजीए का विस्तार

अधिनियम के अनुच्छेद 1(3) के अंतर्गत ''यह योजना उस तारीख से प्रभाव में आएगी जिसे केंद्र सरकार अधिकृत गजट में अधिसूचना के जरिये तय करेगी तथा विभिन्न राज्यों या राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग–अलग तारीखें भी तय की जा सकती हैं तथा इस अधिनियम के प्रारंभ होने के ऐसे किसी भी प्रावधान का अर्थ उस राज्य या उस क्षेत्र में उस प्रावधान के प्रभाव में आने से लिया जाएगा :

बशर्ते यह अधिनियम पारित होने की तारीख से 5 साल के भीतर उस पूरे भूक्षेत्र में प्रभावी होगा जो इसके अधिकार क्षेत्र में आता है।''

एनआरईजीए को 130 नए जिलों में लागू करने का फैसला लिया गया। 1.4.2007 से अधिसूचित होने वाले 113 जिलों की सूची ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा स्वीकृति के लिए संसद के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। दूसरे चरण के अधिसूचित जिलों की सूची **परिशिष्ट 2** में दी गई है।

उत्तर प्रदेश में चुनावों के कारण 17 जिलों की सूची संसद के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई।

2

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम : कार्यक्रम क्रियान्वयन

1. वैधानिक संस्थागत व्यवस्था

(i) केंद्रीय परिषद् : अधिनियम के अनुच्छेद 10(1) के अंतर्गत केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद (सीईजीसी) का गठन किया गया। सीईजीसी नियावली 2006 को 25.5. 2006 को अधिसूचित किया गया। यह परिषद इस अधिनियम के क्रियान्वयन से संबंधित मामलों पर सरकार को सलाह देती है। परिषद् ही समय–समय पर निगरानी एवं शिकायत सुनवाई व्यवस्था की समीक्षा करती है और जरूरी सुधारों के बारे में सुझाव देती है। 2006–07 में सीईजीसी की दो बैठकें आयोजित की गईं। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री केंद्रीय परिषद के अध्यक्ष हैं।

नहर का सुदृढ़ीकरण, डूंगरपुर, राजस्थान

(ii) राष्ट्रीय निधि : एनआरजीए के अनुच्छेद 20(1) के अंतर्गत एक राष्ट्रीय रोजगार गारंटी निधि (एनईजीएफ) के गठन का प्रावधान किया गया है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय रोजगार गारंटी निधि के नाम से एक नॉन–लैप्सेबल निधि की स्थापना कर दी है जिसे नियमावली के अनुसार संचालित किया जाएगा। राष्ट्रीय निधि के लिए नियमावली 2. 1.2007 को अधिसूचित की गई।

(i) राज्य परिषद् : एनआरईजीए के नियम 12 (1) के अंतर्गत प्रत्येक राज्य सरकार को राज्य रोजगार गारंटी परिषद् (एसईजीसी) का गठन करना था। अभी तक 22 राज्यों में राज्य परिषद का गठन कर लिया है। राज्य परिषदों की स्थिति **परिशिष्ट 3** में दी गई है।

2. संचार एवं जागरूकता

एनआरईजीए के प्रभावी और कुशल क्रियान्वयन के लिए संचार सबसे महत्वपूर्ण जरूरत है।

सूचना शिक्षा एवं संचार (आईईसी) रणनीतियों में अखबारों, टेलीविजन व रेडियो नाटिकाओं और पर्चों व ब्रोशर के माध्यम से जागरूकता पैदा करने के लिए प्रयास किए गए। राज्यों में अधिनियम के मुख्य आयामों की जानकारी फैलाने के लिए ग्राम सभाओं की बैठकें आयोजित की गईं।

3. कार्यात्मक व्यवस्था

i) एनआरईजीए के लिए अतिरिक्त पूर्णकालिक कर्मचारियों की तैनाती

पहले वाले वेतन आधारित रोजगार कार्यक्रमों के क्रियान्वयन से सीख लेते हुए केंद्र सरकार ने एनआरईजीएस के प्रबंधन और क्रियान्वयन को सुदृढ़ बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। अधिनियम के अंतर्गत केंद्र सरकार प्रशासकीय खर्चों में सहायता उपलब्ध करायेगी। इस सहायता की सीमा केंद्र सरकार को ही तय करनी है। फलस्वरूप, मंत्रालय ने कुल लागत के 4 प्रतिशत हिस्से को प्रशासकीय लागत के रूप में स्वीकृति दी है जिससे क्रियान्वयन के लिए आवश्यक अतिरिक्त कर्मचारियों को तैनात किया जा सके। इस क्रम में ग्राम पंचायत के स्तर पर ग्राम रोजगार सेवक तथा ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम अधिकारी, इंजीनियरों, सूचना प्रौद्योगिकी एवं लेखा कर्मचारियों की नियुक्ति की जा सकती है।

ii) राज्य स्तर पर क्षमता निर्माण का सुदृढ़ीकरण

प्रशासकीय व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए यह भी जरूरी है कि विभिन्न संबंधित पक्षों को प्रशिक्षण दिया जाए। सभी स्तरों पर प्रशिक्षण की जरूरतें काफी ज्यादा हैं और उनमें अधिकारी, पंचायती राज संस्थाएं तथा स्थानीय चौकसी समितियां भी शामिल हैं। एनआईआरडी तथा एसआईआरडी ने प्रशिक्षण कार्यक्रम तो शुरू कर दिये हैं लेकिन चुनौती यह है कि विभिन्न लक्ष्य समूहों के अनुसार सही अंतर्वस्तु और प्रक्रिया पर आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की रूपरेखा कैसे तय की जाए। गुणवत्ता पर समझौता किये बिना बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण की जरूरत को पूरा करना भी एक बड़ी चुनौती है। उपलब्ध फीडबैक का इस्तेमाल करते हुए बार–बार प्रशिक्षण चक्र चलाने की भी व्यवस्था की जानी चाहिए।

राज्यों द्वारा आयोजित किए गए प्रशिक्षणों की संख्या नीचे दी गई है :

पंचायती राज्य संस्थाओं के प्रतिनिधि	–	200000
प्रशासकीय/तकनीकी अधिकारी	–	58016
ग्राम स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति के सदस्य	–	28071

iii) एमआईएस

इंटरनेट आधारित एमआईएस www.nrega.nic.in विकसित की गई है। इस वेबसाइट के जरिए सभी सूचनाएं पारदर्शी तथा सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध हो गई हैं। अब कोई भी व्यक्ति इन जानकारियों का लाभ उठा सकता है। राज्य सरकारें ब्लॉक और जिला स्तर पर डेटाबेस तैयार करती हैं। ये आंकड़े परिवारों के स्तर से तैयार किए जाते हैं और प्राविधिक प्रक्रियाओं के अनुपालन तथा समावेश के लिए उसमें आंतरिक अंकुशों की व्यवस्था मौजूद है। सभी महत्वपूर्ण मानकों की सार्वजनिक क्षेत्र में निगरानी की जाती है :

(क) मजदूरों से संबंधित आंकड़े, पंजीकरण व जॉब कार्ड, हाजिरी रजिस्टर आदि दस्तावेज,

(ख) कार्यों के चयन तथा क्रियान्वयन संबंधी आंकड़े जिनमें चयनित और स्वीकृत कार्यों की सूची, कार्यों का अनुमान, क्रियान्वित किए जा रहे काम, माप आदि शामिल हैं,

(ग) मांगे गए रोजगार तथा उपलब्ध कराए गए रोजगारों से संबंधित आंकड़े, तथा,

(घ) उपलब्ध अनुदान, इस्तेमाल किए गए अनुदान तथा वेतन व वस्तु एवं प्रशासकीय व्यय के रूप में अदा की गई राशि के आकलन की व्यवस्था आदि वित्तिय संकेतक। क्योंकि एमआईएस व्यवस्था सारी महत्वपूर्ण जानकारियों को वेबसाइट पर डाल देती है और ये सारे आंकड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियरों द्वारा तैयार किए जाते हैं इसलिए इनमें पूरी पारदर्शिता रही है। यह व्यवस्था हो जाने के बाद किसी भी जानकारी का एक–दूसरे के साथ मिलान किया

जा सकता है और अधिनियम के किसी भी मानक से संबंधित रिपोर्टें हासिल की जा सकती है। अब यह सुनिश्चित करना एक अहम उद्देश्य है कि पहले ब्लॉक स्तर पर और जहां संभव हो वहां ग्राम पंचायत के स्तर पर इंटरनेट कनेक्टीविटी उपलब्ध कराई जाए।

iv) निगरानी एवं मूल्यांकन

एनआरईजीएस प्रक्रियाओं का फील्ड वेरीफिकेशन बाहरी और भीतरी ऐजेंसियों के जरिए किया जाता है। इस प्रक्रिया से जो फीडबैक मिलता है उसे फॉलो–अप के लिए राज्यों को भी भेजा जाता है। राष्ट्रीय स्तर के मॉनीटर्स ने चरण – 1 के सभी जिलों का और चरण – 2 के 112 जिलों का दौरा किया। इस प्रक्रिया का विस्तृत ब्यौरा **परिशिष्ट 4** में उपलब्ध है। इसी दौरान स्वतंत्र समानांतर अध्ययन भी शुरू किए गए और उनके नतीजे भी राज्यों को उपलब्ध करा दिए गए हैं। राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया है कि विशेष रूप से कामों, हाजिरी रजिस्टरों तथा रिकॉर्ड्स की ब्लॉक स्तर पर 100 प्रतिशत, जिला स्तर पर 10 प्रतिशत तथा राज्य स्तर पर 2 प्रतिशत पुष्टि (वेरीफिकेशन) जरूर कराएं। हाजिरी रजिस्टरों की पुष्टि के लिए दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं और उन्हें राज्य सरकारों को उपलब्ध कराया गया है।

v) कार्यक्रम समीक्षा

एनआरईजीए के क्रियान्वयन की मंत्री महोदय (ग्रामीण विकास) तथा सचिव (ग्रामीण विकास) के स्तर पर क्षेत्रीय प्रदर्शन समीक्षा समिति के माध्यम से निरंतर समीक्षा की जाती रही है। कार्यक्रम प्रदर्शन समीक्षा समिति की अब तक आयोजित की गई बैठकों का विवरण नीचे दिया गया है :

टेबल 1

क्र. सं.	पीआरसी बैठक की तारीख	स्थान
1.	12–13 मई 2006	नई दिल्ली
2.	19 सितंबर 2006	चंडीगढ़
3.	20–21 दिसंबर 2006	नई दिल्ली

4. सार्वजनिक जवाबदेही

अधिनियम में सार्वजनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए निश्चित प्रावधान किए गए हैं। वैधानिक निर्देशों पर आधारित दिशानिर्देशों में सार्वजनिक जवाबदेही के लिए बहुआयामी रणनीति की व्यवस्था की गई है।

क) **स्वयमेव सूचना प्रस्तुतिकरण :** क्रियान्वयन के परिणामों पर केंद्रित वार्षिक रिपोर्ट हर साल संसद तथा राज्य विधायिका के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है। एनआरईजीए अधिनियम, 2006 के क्रियान्वयन से संबंधित वार्षिक रिपोर्ट (2005–06) 19.12.2006 को संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत की गई थी।

ख) **सूचना अधिकार के अंतर्गत सूचना :** निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर जनता को सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएंगे। यह प्रावधान एनआरईजीए, अनुसूची 1, पैराग्राफ 17 और 18 में दिया गया है।

ग) **सामाजिक संपरीक्षा :** एनआरईजीए के अनुच्छेद 17 में ग्राम पंचायत के अंतर्गत होने वाले सभी कार्यों के सामाजिक संपरीक्षा का जिम्मा ग्राम सभा को सौंपा गया है। प्रत्येक सामाजिक संपरीक्षा के लिए ग्राम पंचायत को सभी

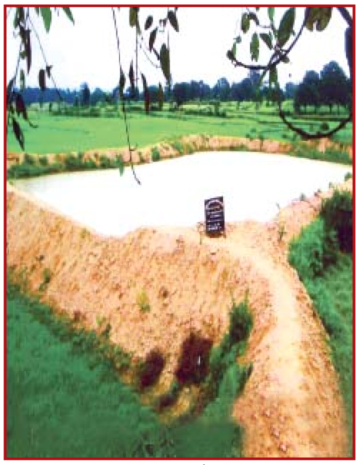

तुरबुल, जिला गुमला में एक तालाब का निर्माण (झारखंड)

दस्तावेज ग्राम सभा के समक्ष उपलब्ध कराने होंगे। इस प्रक्रिया को सही ढंग से चलाने की जरूरत है ताकि सरकारी अधिकारियों, ग्राम पंचायत सदस्यों तथा ग्राम सभा की सामाजिक संपरीक्षा क्षमता में सुधार लाया जा सके। मंत्रालय की सहायता से राज्यों में सामाजिक संपरीक्षा प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए क्षमता निर्माण हेतु नियोजन एवं प्रशिक्षण संबंधी संसाधन सहायता तथा गैर सरकारी संस्थाओं के साथ सहभागिता विकसित करना शामिल है। सामाजिक संपरीक्षा के लिए मार्गदर्शिका विकसित करने के उद्देश्य से उदयपुर और आंध्र प्रदेश में दो कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। महत्वपूर्ण बात यह है कि गैर सरकारी संस्थाओं ने राज्य सरकारों के साथ मिलकर या स्वतंत्र रूप से सामाजिक संपरीक्षा प्रक्रिया में बेहद सक्रिय योगदान दिया है।

घ) **शिकायतों का निपटारा** : रोजगार के अधिकार को लागू करने के लिए एक प्रभावी शिकायत निपटारा व्यवस्था की स्थापना जरूरी है। अधिनियम में शिकायतों के निपटारे की जिम्मेदारी कार्यक्रम अधिकारी को सौंपी गई है। शिकायतों के तत्काल निपटारे के लिए कुछ बुनियादी व्यवस्थाएं करना जरूरी है। जैसे – पीओ/डीपीसी कार्यालयों में शिकायत सुनवाई इकाई की स्थापना करना। इस इकाई में मुफ्त हेल्पलाइन की व्यवस्था हो तो बेहतर होगा। पीओ तथा डीपीसी को हर महीने शिकायतों के निपटारे की अनिवार्य रूप से समीक्षा करनी होगी तथा संबंधित व्यक्तियों को आवश्यक सूचनाएं देनी होंगी। राज्य सरकारों ने ग्राम पंचायत तथा ब्लॉक स्तर पर शिकायत निपटारा व्यवस्था शुरू कर दी है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम : कार्यक्रम के परिणाम

1. रोजगार की मांग एवं आपूर्ति

एनआरईजीए का मुख्य उद्देश्य रोजगार की मांग को पूरा करना है। रोजगार मांगने वाले परिवारों की संख्या 2.12 करोड़ रही है और 2.10 करोड़ परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। (उपलब्ध कराए गए रोजगारों का राज्यवार ब्यौरा जानने के लिए चित्र 1 देखें तथा पैदा किए गए नए रोजगारों का विवरण जानने के लिए **परिशिष्ट 5** को देखें)।

चित्र 1: पूरी की गई रोजगार की मांग, (मार्च 2007 तक)

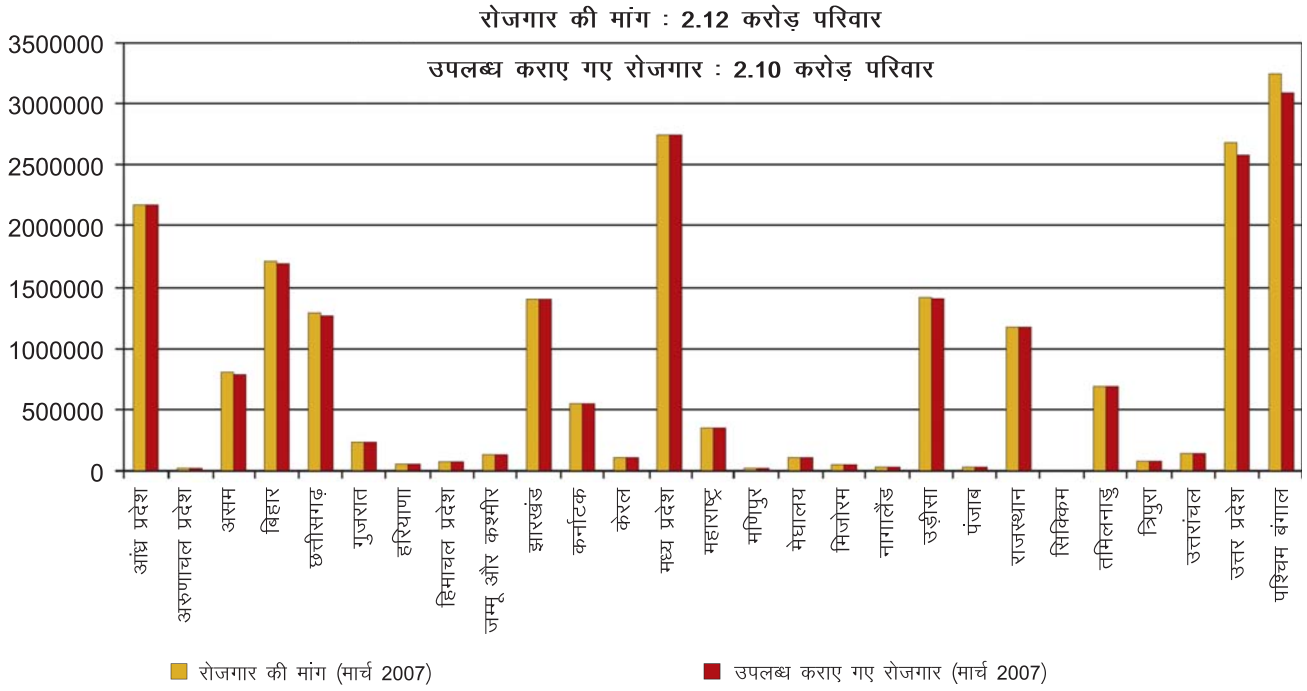

2. श्रम दिवस

संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई) के स्थान पर एनआरईजीए को लागू करने का मुख्य कारण ये था कि रोजगारों पर और ज्यादा ध्यान दिया जाए तथा रोजगार संवर्द्धन अवसरों में इजाफा किया जाए। फलस्वरूप, एसजीआरवाई की तुलना में एनआरईजीए के अंतर्गत पैदा हुए श्रम दिवसों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। नीचे दी गई टेबल 2 देखें।

टेबल 2: श्रम दिवसों में उल्लेखनीय वृद्धि

करोड़ में

1	2	3	4
पैदा किए गए श्रम दिवस	586 जिलों में एसजीआरवाई (2005–06)	586 जिलों में प्रति वर्ष औसत श्रम दिवस (एसजीआरवाई+एनएफएफडब्ल्यूपी) (2001–06)	200 जिलों में एनआरईजीए (2006–07)
कुल	82.18	83.3	90.5
प्रति जिला औसत	0.14	0.142	0.45

एनआरईजीए के अंतर्गत प्रति जिला रोजगार संवर्द्धन में **3 गुना से ज्यादा वृद्धि**
रोजगार संवर्द्धन अवसरों में वृद्धि से संबंधित एनआरईजीए का प्राथमिक उद्देश्य पूरा हुआ।

3. श्रम शक्ति में महिलाओं का हिस्सा

अधिनियम में व्यवस्था की गई है कि महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। क्रियान्वयन के स्तर पर निर्देश दिया गया है कि लाभान्वितों में एक तिहाई ऐसी महिलाएं होनी चाहिएं जिन्होंने रोजगार के लिए पंजीकरण कराया है और रोजगार की मांग की है। (देखें, चित्र 2)

27 राज्यों से मिले आंकड़ों को देखने पर पता चलता है कि 18 राज्यों में यह लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल किया गया है। त्रिपुरा और तमिलनाडु में लाभान्वित महिलाओं की संख्या सबसे अधिक, क्रमशः 85 प्रतिशत और 82 प्रतिशत रही है। इनमें से आधे राज्यों में महिलाओं की हिस्सेदारी राष्ट्रीय औसत (40 प्रतिशत) से ज्यादा थी। (देखें टेबल 3, नीचे)

चित्र 2: कम से कम एक तिहाई लाभान्वित ऐसी महिलाएं होंगी जिन्होंने योजना के अंतर्गत पंजीकरण कराया है और रोजगार की मांग की है।
(एनआरईजीए अधिनियम, अनुसूची 2, अनुच्छेद 6) वर्ष 2006–07

टेबल 3: श्रमशक्ति में महिलाओं का उल्लेखनीय हिस्सा (2006-07)

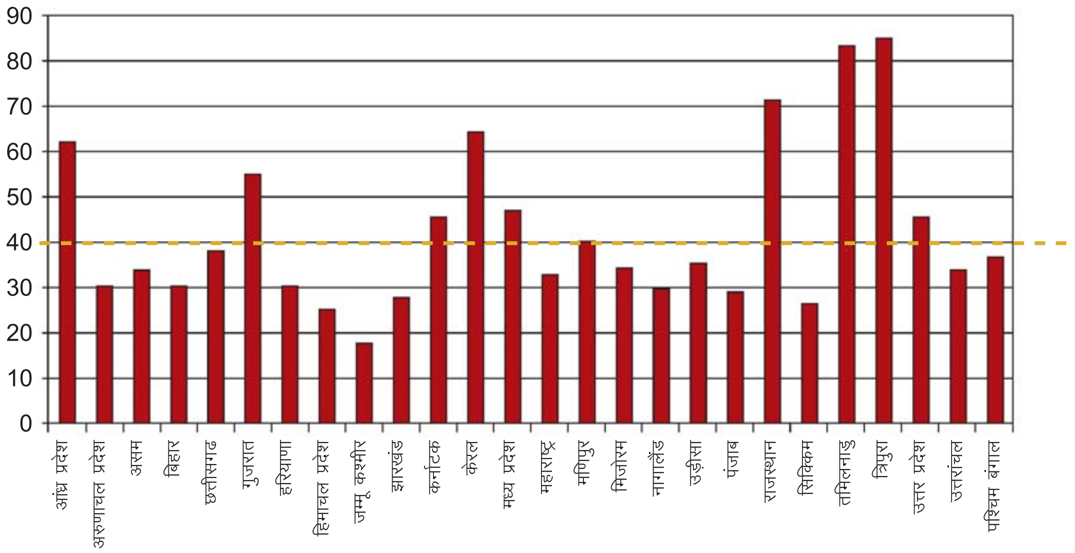

महिलाओं को उपलब्ध कराए गए रोजगार (उपलब्ध कराए गए कुल रोजगारों का प्रतिशत), मार्च 2007 तक
राष्ट्रीय औसत

4. उपलब्ध कराये गये रोजगारों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवारों का हिस्सा

2006–07 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति परिवारों के सदस्यों को रोजगार उपलब्ध कराने का आंकड़ा लगभग 62 प्रतिशत रहा। 9 राज्यों में यह राष्ट्रीय औसत से भी अधिक था। हांलाकि यह कार्यक्रम किसी खास समूह तक सीमित नहीं है लेकिन लगभग सभी राज्यों के अनुभवों से पता चलता है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के ज्यादातर परिवार गरीबी की रेखा से नीचे (बीपीएल) हैं और वे एनआरईजीए के अंतर्गत रोजगार पाने में सफल रहे हैं (देखें टेबल 4, नीचे)।

टेबल 4: रोजगार में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवारों का मुख्य हिस्सा

अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जातियों का हिस्सा – 61.77 प्रतिशत से अधिक

अनुसूचित जनजाति – 36.38 प्रतिशत से अधिक/अनुसूचित जाति – 25.39 प्रतिशत से अधिक

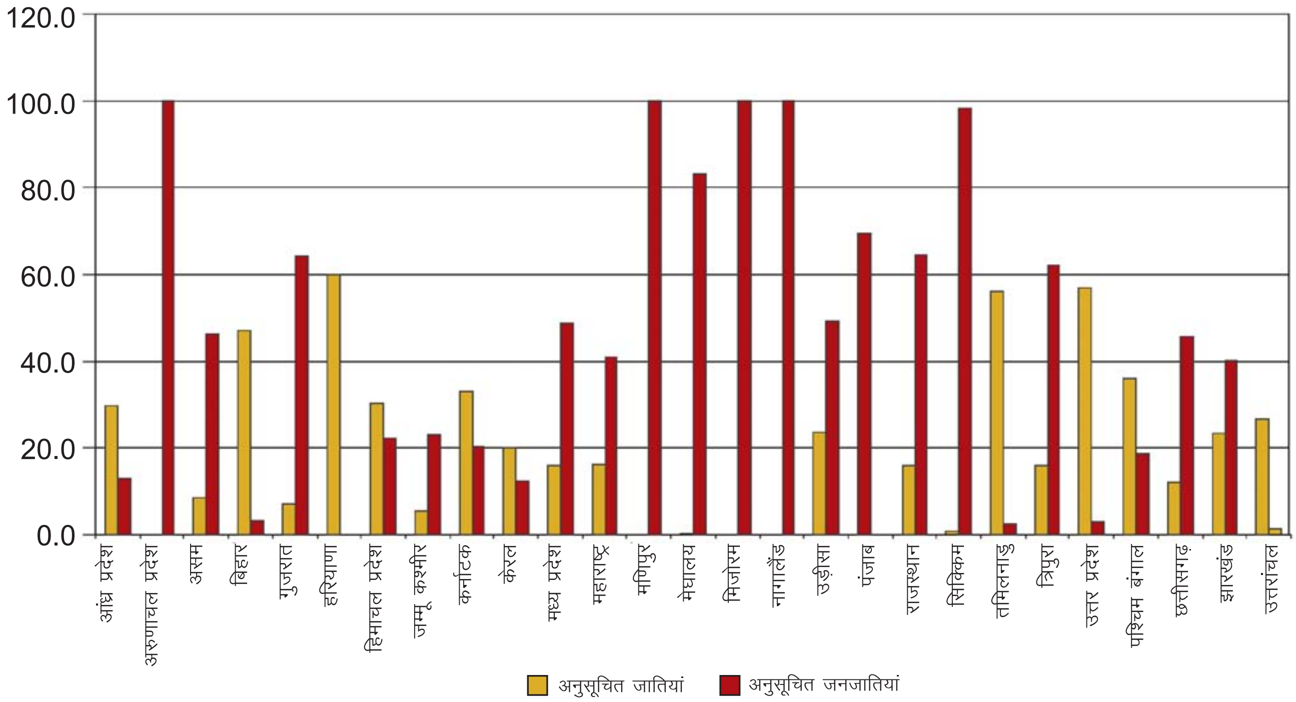

5. सामुदायिक संपदाओं का निर्माण

अधिनियम की अनुसूची 1 के अनुसार एनआरईजीए स्कीम का केंद्र बिन्दु निम्नलिखित संकर्मों पर उनकी पूर्विकता के क्रम में होगा:

1) जल संरक्षण और जल शष्य संचय
2) सूखारोधी (जिसके अंतर्गत वनरोपण और वृक्षरोपण है);
3) सिंचाई नहरें जिनके अंतर्गत सूक्ष्म और लघु सिंचाई संकर्म भी हैं;
4) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की गृहस्थियों के स्वामित्वाधीन भूमि के लिए या भूमि सुधार के हिताधिकारियों की भूमि के लिए या भारत सरकार की इन्दिरा आवास योजना के अधीन हिताधिकारियों की भूमि के लिए सिंचाई प्रसुविधा का उपबंध;
5) पारंपरिक जल निकायों का नवीकरण जिसके अंतर्गत तालाबों का शुद्धिकरण भी है;
6) भूमि विकास;
7) बाढ़ नियंत्रण संरक्षण संकर्म, जिनके अंतर्गत जलरुद्ध क्षेत्रों में जल निकास भी है;
8) सभी मौसमों में पहुंच का उपबंध करने के लिए ग्रामीण संयोजकता; और
9) कोई अन्य कार्य, जिसे राज्य सरकार के परामर्श से केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए।

एनआरईजीए कार्यात्मक दिशानिर्देशों में प्रावधान किया गया है कि सामुदायिक संपदाओं के निर्माण को प्राथमिकता दी जाएगी। क्रियान्वयन प्राथमिकता के लिहाज से जल संरक्षण पर सबसे ज्यादा जोर देने का प्रावधान किया गया है।

चित्र 3: एनआरईजीए के अंतर्गत कार्यों के चयन में जल संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता

(सभी संख्याएं प्रतिशत में)

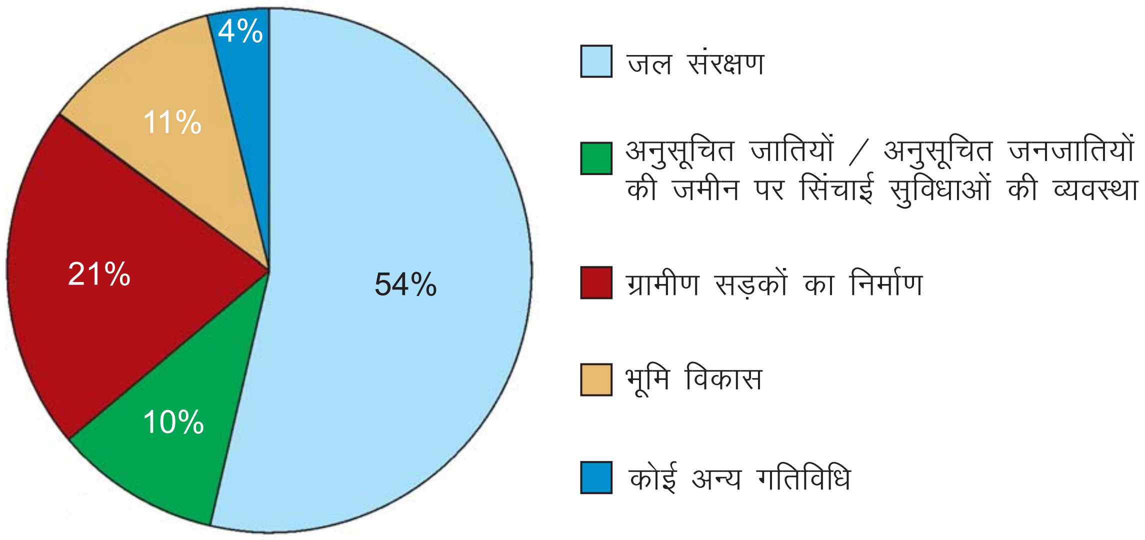

चित्र 4: जल संरक्षण कार्य

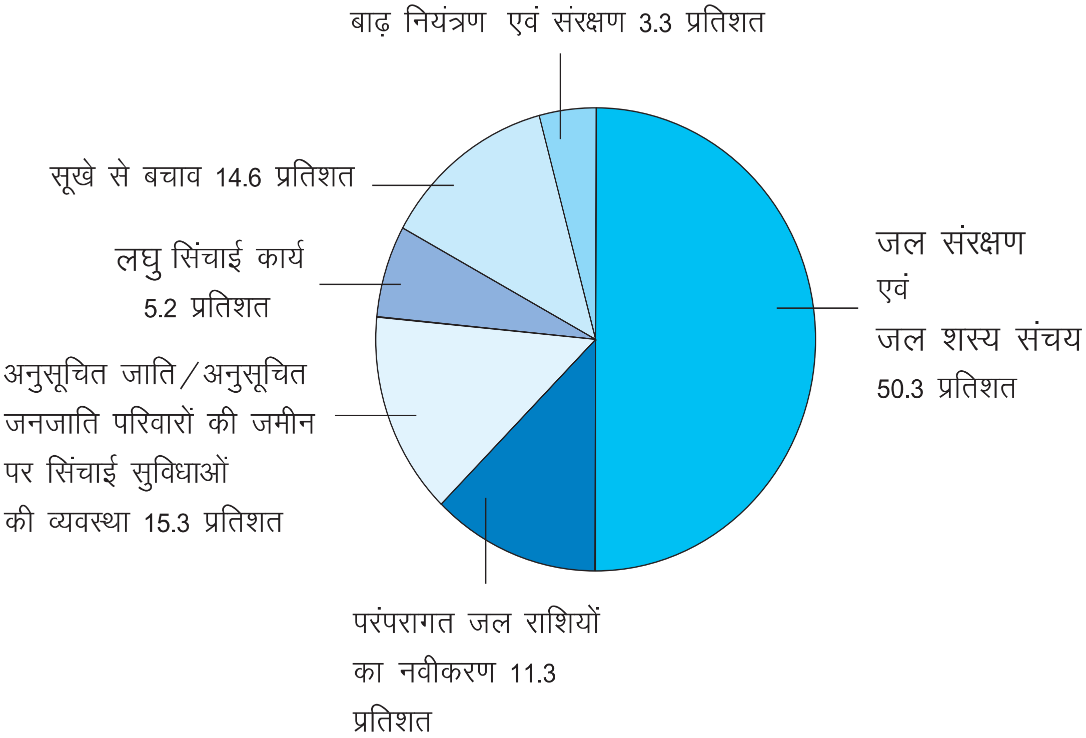

वित्त वर्ष 2006–07 में एनआरईजीए के तहत किए गए कार्यों का विवरण **परिशिष्ट 6** में दिया गया है।

टेबल 5: एनआरईजीए के अंतर्गत निर्मित संपदाएं

काम की किस्म	किए गए कुल कार्य (संख्या)	पूरे हो चुके काम (संख्या)	चालू काम (संख्या)	निर्मित लाभ
जल संरक्षण एवं जल शस्य संचय	266365	121921	144444	नए जलाशयों/ तालाबों की खुदाई, टैंकों, छोटे रोक बंधों के निर्माण से 737 लाख घन मीटर जल भंडारण क्षमता
बाढ़ नियंत्रण एवं संरक्षण	17113	10206	6907	किनारों के निर्माण एवं मरम्मत के जरिए जल भराव वाले क्षेत्रों में 3 लाख किलोमीटर लंबी नालियां
लघु सिंचाई कार्य	27682	12151	15531	0.13 लाख किलोमीटर लंबी नहरें
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवारों की जमीन पर सिंचाई	80794	27362	53432	0.16 लाख हेक्टेयर जमीन पर सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराई गई
जल भंडारण क्षमता	59924	25472	34452	टैंकों/जलाशयों, पुरानी नहरों, परपंरागत खुले कुंओं से रेत निकासी के जरिए 481 लाख घन मीटर जल
भूमि विकास	88557	43370	45187	3.35 लाख हेक्टेयर जमीन का समतलीकरण एवं बंध निर्माण
सूखे से बचाव	77305	30989	46316	3.45 लाख हेक्टेयर जमीन पर वनारोपण एवं वृक्षारोपण
ग्रामीण सड़कों का निर्माण	179661	91244	88417	2.37 लाख किलोमीटर सड़कें
कोई अन्य गतिविधि	33537	20776	12761	
कुल	**830938**	**383491**	**447447**	

6. आय में वृद्धि

अधिनियम की अनुसूची 1(9) के मुताबिक कुशल और अर्द्धकुशल मजदूरों की मजदूरी सहित परियोजनाओं की वस्तु लागत परियोजना की कुल लागत के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। (*देखें चित्र 5, नीचे*)

चित्र 5: श्रमिकों की मजदूरी के रूप में व्यय का बड़ा हिस्सा
कुल व्यय : 8812 करोड़ रुपए

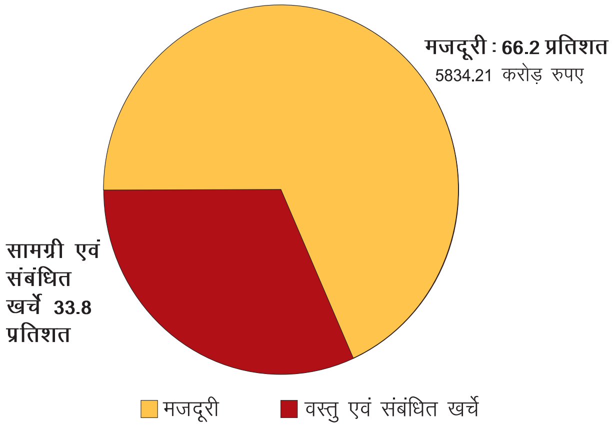

7. व्यय

एनआरईजीए के अंतर्गत 2006–07 के दौरान जिलों को 12073.55 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए। इसमें से 8263.66 करोड़ रुपए केंद्र द्वारा जारी किए गए, 2052.92 करोड़ रुपए प्रारंभिक बैलेंस के रूप में, 812.40 करोड़ रुपए राज्यों का हिस्सा और 249.16 करोड़ रुपए मिश्रित कोष के रूप में थे। इसमें से 8823.36 करोड़ रुपए का उपयोग किया जा चुका है। यह राशि उपलब्ध अनुदानों का 73.08 प्रतिशत बैठती है।

इसके अलावा चरण 2 जिलों के लिए किस्तों में 377.20 करोड़ रुपए की राशि भी केंद्र की ओर से जारी की गई। वित्त वर्ष 2006–07 के दौरान एनआरईजीए के अनुदानों के व्यय का ब्यौरा **परिशिष्ट 7** में दिया गया है।

एनआरईजीए के अंतर्गत प्रदर्शन : सारांश रिपोर्ट वित्त वर्ष 2006–07 के लिए (31 मार्च 2007 तक)

1. रोजगार की मांग करने वाले परिवारों की संख्या : 2.12 करोड़
2. परिवारों को उपलब्ध कराए गए रोजगार : 2.10 करोड़
3. श्रम दिवस (करोड़ में)
   - कुल : 90.5
   - अनुसूचित जाति : 22.95 (25.35 प्रतिशत)
   - अनुसूचित जनजाति : 32.98 (36.44)
   - महिलाएं : 36.79 (40.65 प्रतिशत)
   - अन्य : 34.56 (38.18 प्रतिशत)
4. बजट प्रावधान (आउटले) : 11300 करोड़ रुपए
5. कुल उपलब्ध राशि (ओबी सहित) : 12073.55 करोड़ रुपए
6. व्यय : 8823.35 करोड़ रुपए
7. कुल शुरू की गई परियोजनाएं : 8.35 लाख
   - पूरे की गई परियोजनाएं : 3.87 लाख
   - जारी परियोजनाएं : 4.48 लाख
8. परियोजनाओं का बंटवारा :
   - जल संरक्षण एवं जल संवर्धन : 2.67 लाख (32.05 प्रतिशत)
   - परंपरागत जल स्रोतों का नवीकरण : 0.60 लाख (7.23 प्रतिशत)
   - सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था : 0.81 लाख (9.61 प्रतिशत)
   - लघु सिंचाई कार्य : 0.28 लाख (3.36 प्रतिशत)
   - सूखे से बचाव : 0.77 लाख (9.29 प्रतिशत)
   - बाढ़ नियंत्रण एवं संरक्षण : 0.18 लाख (2.14 प्रतिशत)
   - ग्रामीण सड़कों का निर्माण : 1.80 लाख (21.55 प्रतिशत)
   - भूमि विकास : 0.89 लाख (10.68 प्रतिशत)
   - कोई अन्य गतिविधि : 0.33 लाख (4.01 प्रतिशत)

परिशिष्ट 1

एनआरईजीए के अंतर्गत पहले चरण में आने वाले 200 जिलों की सूची (2006-07)

राज्य का नाम	जिले का नाम
आंध्र प्रदेश	
	आदिलाबाद
	अनंतपुर
	चित्तूर
	कुडप्पा
	करीम नगर
	खम्माम
	महबूब नगर
	मेडक
	नालगौंडा
	निज़ामाबाद
	रंगारेड्डी
	विजयानगरम
	वारंगल
अरुणाचल प्रदेश	
	अपर सुबानसिरी
असम	
	बोंगाइगांव
	धेमाजी
	गोलपाड़ा
	कारबी आंगलोंग
	कोकराझार
	लखीमपुर
	नॉर्थ कछार हिल्स
बिहार	
	अररिया
	औरंगाबाद
	भोजपुर
	दरभंगा
	गया
	जमुई
	जहानाबाद
	कैमुर (भभुआ)
	कटिहार
	किशनगंज
	लखीसराय
	मधुबनी
	मुंगेर
	मुजफ्फरपुर
	नालंदा
	नवादा
	पटना
	पूर्णिया
	रोहतास
	समस्तीपुर
	शिवहर
	सुपौल
	वैशाली
छत्तीसगढ़	
	बस्तर
	बिलासपुर
	दंतेवाड़ा
	धमतरी
	जशपुर
	कांकेर
	कवर्धा
	कोरिया
	रायगढ़
	नाजनंदगांव
	सरगुजा
गुजरात	
	बनासकांठा

जारी...

राज्य का नाम	जिले का नाम
	डांग
	दोहाद
	नर्मदा
	पंच महल
	साबरकांठा
हरियाणा	
	महेंद्रगढ़
	सरसा
हिमाचल प्रदेश	
	चम्बा
	सिरमौर
जम्मू और कश्मीर	
	डोडा
	कुपवाड़ा
	पुंछ
झारखंड	
	बोकारो
	चतरा
	धनबाद
	दुमका
	गढ़वा
	गिरिडीह
	गौडा
	गुमला
	हजारीबाग
	जमतारा
	कोडरमा
	लतेहर
	लोहारदग्गा
	पाकुर
	पलामू
	रांची

राज्य का नाम	जिले का नाम
	साहेबगंज
	सरायकेला
	सिमडेगा
	पश्चिमी सिंहभूम
कर्नाटक	
	बीदर
	चित्रदुर्गा
	दावनगेरे
	गुलबर्गा
	रायचूर
केरल	
	पालक्कड़
	वायनाड
मध्य प्रदेश	
	बालाघाट
	बड़वानी
	बैतूल
	छतरपुर
	धार
	डिंडोरी
	पूर्वी निमाड़
	झाबुआ
	खरगौन
	मांडला
	सतना
	सिवनी
	शहडोल
	शिवपुर
	सिधी
	टीकमगढ़
	उमरिया

जारी...

राज्य का नाम	जिले का नाम
महाराष्ट्र	
	अहमदनगर
	अमरावती
	औरंगाबाद
	भंडारा
	चंद्रपुर
	धुले
	गढ़चिरौली
	गोंडिया
	हिंगोली
	नांदेड़
	नंदुरबार
	यवतमाल
मणिपुर	
	तामेंगलोंग
मेघालय	
	साउथ गारो हिल्स
	वेस्ट गारो हिल्स
मिज़ोरम	
	लवंगतलाई
	सैहा
नागालैंड	
	मोन
उड़ीसा	
	बोलांगीर
	बोध
	देवगढ़
	ढेंकनाल
	गजपति
	गंजम
	झरसूगुड़ा
	कालाहांडी

राज्य का नाम	जिले का नाम
	क्योंझर
	कोरापुट
	मल्कानगिरी
	मयूरभंज
	नबरंगपुर
	नौपाड़ा
	रायगड़ा
	संभलपुर
	सोनपुर
	सुंदरगढ़
पंजाब	
	होशियारपुर
राजस्थान	
	बांसवाड़ा
	डूंगरपुर
	झालावाड़
	करौली
	सिरोही
	उदयपुर
सिक्किम	
	नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट
तमिलनाडु	
	कुड्डालौर
	डिंडीगुल
	नागपट्टिनम
	शिवगंगाई
	तिरुवन्नामलाई
	विल्लूपुरम
त्रिपुरा	
	धलाई

जारी...

राज्य का नाम	जिले का नाम
उत्तर प्रदेश	
	आज़मगढ़
	बांदा
	बाराबंकी
	चंदौली
	चित्रकूट
	फतेहपुर
	गोरखपुर
	हमीरपुर
	हरदोई
	जालौन
	जौनपुर
	कौशाम्बी
	लखीमपुर खेरी
	कुशी नगर
	ललितपुर
	महोबा
	मिर्जापुर
	प्रतापगढ़

राज्य का नाम	जिले का नाम
	राय बरेली
	सीतापुर
	सोनभद्र
	उन्नाव
उत्तरांचल	
	चमोली
	चंपावत
	टिहरी गढ़वाल
पश्चिम बंगाल	
	द० 24 परगना
	बांकुरा
	बीरभूम
	द० दिनाजपुर
	उ० दिनाजपुर
	जलपाईगुड़ी
	मालदा
	प० मिदनापुर
	मुर्शिदाबाद
	पुरूलिया

परिशिष्ट 2

एनआरईजीए के अंतर्गत दूसरे चरण में आने वाले 130 जिलों की सूची (2006-07)

राज्य का नाम	जिले का नाम
आंध्र प्रदेश	
	नेल्लोर
	पूर्वी गोदावरी
	श्रीकाकुलम
	कुरनूल
	प्रकाशम
	गुंटूर
अरुणाचल प्रदेश	
	चांगलांग
	लोहित
असम	
	मारीगांव
	दारांग
	नलबाड़ी
	बारपेटा
	हेलाकांडी
	कछार
बिहार	
	शेखपुरा
	सिवान
	खगड़िया
	मधेपुरा
	सहरसा
	सीतामढ़ी
	पश्चिमी चंपारन
	बांका
	भागलपुर
	पूर्वी चंपारन
	बेगूसराय
	गोपालगंज
	बक्सर
	सरन
	अरवल

राज्य का नाम	जिले का नाम
छत्तीसगढ़	
	कोरबा
	जांजगीर–चंपा
	महासमंद
	रायपुर
गुजरात	
	वलसाड़
	भरूच
	नवसारी
हरियाणा	
	अंबाला
	मेवात
हिमाचल प्रदेश	
	कांगड़ा
	मंडी
जम्मू और कश्मीर	
	अनंतनाग
	जम्मू
झारखंड	
	पूर्वी सिंहभूम
	देवघर
कर्नाटक	
	बेल्लारी
	हासन
	चिकमंगलूर
	बेलगांव
	शिमोगा
	कोडागू
केरल	
	इडुक्की
	कासरगोड

जारी...

राज्य का नाम	जिले का नाम
मध्य प्रदेश	
	छिंदवाड़ा
	हरदा
	पन्ना
	कटनी
	देवास
	गुना
	रेवा
	दतिया
	दमोह
	राजगढ़
	अनूपपुर
	अशोक नगर
	बुरहानपुर
महाराष्ट्र	
	थाणे
	वरधा
	बुलढाना
	उसमानाबाद
	अकोला
	वाशिम
मणिपुर	
	चंदेल
	चूरचंदपुर
मेघालय	
	ईस्ट खासी हिल्स
	जैंतिया हिल्स
	री भोई
मिज़ोरम	
	चम्फाई
	लुंगलेई

राज्य का नाम	जिले का नाम
नागालैंड	
	कोहिमा
	मोकोकचुंग
	त्वेनसांग
	वोखा
उड़ीसा	
	बारगढ़
	अंगुल
	बालासोर
	भद्रक
	जाजपुर
पंजाब	
	नवांशहर
	जालंधर
	अमृतसर
राजस्थान	
	टोंक
	सवाई माधोपुर
	चित्तौड़गढ़
	बाड़मेर
	जालौर
	जैसलमेर
सिक्किम	
	पूर्वी सिक्किम
	दक्षिणी सिक्किम
त्रिपुरा	
	दक्षिणी त्रिपुरा
	पश्चिमी त्रिपुरा
तमिलनाडु	
	तंजावूर
	तिरुवारूर

जारी...

राज्य का नाम	जिले का नाम
	तिरूनेलवेल्ली
	कारूर
उत्तराखण्ड	
	उधम सिंह नगर
	हरिद्वार
पश्चिम बंगाल	
	कूच बिहार
	नदिया
	बर्द्धमान
	मेदिनीपुर (ईस्ट)
	नॉर्थ 24 परगना
	हुगली
	दार्जिलिंग
उत्तर प्रदेश	
	झांसी
	कानपुर देहात

राज्य का नाम	जिले का नाम
	मऊ
	सुल्तानपुर
	अंबेडकर नगर
	बस्ती
	संत कबीर नगर
	महाराजगंज
	सिद्धार्थ नगर
	बहराइच
	बलरामपुर
	श्रावस्ती
	गोंडा
	बलिया
	बदायूं
	एटा
	फर्रुखाबाद

परिशिष्ट 3

एनआरईजी परिषद की स्थिति (31 मार्च 2007 तक)

क्र.सं.	राज्य का नाम	एनआरईजी परिषद की स्थिति
1	आंध्र प्रदेश	गठित
2	अरुणाचल प्रदेश	गठित
3	असम	
4	बिहार	गठित
5	छत्तीसगढ़	गठित
6	गुजरात	
7	हरियाणा	
8	हिमाचल प्रदेश	गठित
9	जम्मू और कश्मीर	गठित
10	झारखंड	गठित
11	कर्नाटक	गठित
12	केरल	गठित
13	मध्य प्रदेश	गठित
14	महाराष्ट्र	गठित
15	मणिपुर	गठित
16	मेघालय	गठित
17	मिजोरम	गठित
18	नागालैंड	गठित
19	उड़ीसा	
20	पंजाब	
21	राजस्थान	गठित
22	सिक्किम	गठित
23	त्रिपुरा	गठित
24	तमिलनाडु	गठित
25	उत्तरांचल	गठित
26	उत्तर प्रदेश	गठित
27	पश्चिम बंगाल	गठित

राष्ट्रीय स्तर के निगरानी कर्त्ताओं द्वारा चरण 1 के जिलों का दौरा

राज्य का नाम	जिले का नाम
आंध्र प्रदेश	
	आदिलाबाद
	अनंतपुर
	चित्तूर
	कड्डपा
	करीम नगर
	खम्माम
	महबूब नगर
	मेडक
	नालगौंडा
	निजामाबाद
	रंगारेड्डी
	विजयानगरम
	वारंगल
अरुणाचल प्रदेश	
	अपर सुबानसिरी
असम	
	बोंगाइगांव
	गोलपाड़ा
	कारबी आंगलोंग
	कोकराझार
	लखीमपुर
	नॉर्थ कछार हिल्स
बिहार	
	अररिया
	औरंगाबाद
	भोजपुर
	दरभंगा
	गया
	जमुई
	जहानाबाद

राज्य का नाम	जिले का नाम
	कैमुर (भभुआ)
	कटिहार
	किशनगंज
	लखीसराय
	मधुबनी
	मुंगेर
	मुजफ्फरपुर
	नालंदा
	नवादा
	पटना
	पूर्णिया
	रोहतास
	समस्तीपुर
	शिवहर
	सुपौल
	वैशाली
छत्तीसगढ़	
	बस्तर
	बिलासपुर
	दंतेवाडा
	धमतारी
	जशपुर
	कांकेर
	कवर्धा
	कोरिया
	रायगढ़
	राजनंदगांव
	सरगुजा

जारी...

राज्य का नाम	जिले का नाम
गुजरात	
	बनासकांठा
	डांग
	दोहाद
	नर्मदा
	पंचमहल
	साबरकांठा
हरियाणा	
	महेंद्रगढ
	सिरसा
हिमाचल प्रदेश	
	चंबा
	सिरमौर
जम्मू और कश्मीर	
	डोडा
	पुंछ
झारखंड	
	बोकारो
	चतरा
	धनबाद
	दुमका
	गढ़वा
	गिरिडीह
	गौडा
	गुमला
	हजारीबाग
	जमतारा
	कोडरमा
	लतेहर
	लोहारदग्गा
	पाकुर
	पलामू
	रांची
	साहेबगंज

राज्य का नाम	जिले का नाम
	सरायकेला
	सिमडेगा
	पश्चिमी सिंहभूम
कर्नाटक	
	बीदर
	चित्रदुर्ग
	दावनगेरे
	गुलबर्गा
	रायचूर
केरल	
	पालक्कड़,
	वायनाड
मध्य प्रदेश	
	बालाघाट
	बड़वानी
	बैतूल
	छतरपुर
	धार
	डिंडोरी
	पूर्वी निमाड
	झाबुआ
	खरगौन
	मांडला
	सतना
	सिवनी
	शहडोल
	शिवपुर
	शिवपुरी
	सिधी
	टीकमगढ़
	उमरिया

जारी...

राज्य का नाम	जिले का नाम
महाराष्ट्र	
	अहमद नगर
	अमरावती
	औरंगाबाद
	भंडारा
	चंद्रपुर
	धुले
	गढ़चिरौली
	गोंडिया
	हिंगोली
	नांदेड
	नंदुरबर
	यवतमाल
मणिपुर	
	तामेंगलोंग
मेघालय	
	साउथ गारो हिल्स
	वेस्ट गारो हिल्स
मिज़ोरम	
	लवंगतलाई
	सैहा
नागालैंड	
	मोन
उड़ीसा	
	बोलांगीर
	बोध
	देवगढ़
	ढेंकानाल
	गजपति
	गंजम
	झरसुगुड़ा
	कालाहांडी

राज्य का नाम	जिले का नाम
	क्योंझर
	कोरापुट
	मल्कानगिरी
	मयूरभंज
	नबरंगपुर
	नौपाड़ा
	रायगड़ा
	संभलपुर
	सोनपुर
	सुंदरगढ़
पंजाब	
	होशियारपुर
राजस्थान	
	बांसवाड़ा
	डूंगरपुर
	झालावाड़
	करौली
	सिरोही
	उदयपुर
सिक्किम	
	नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट
तमिलनाडु	
	कुड्डालौर
	डिंडीगुल
	नागपट्टिनम
	शिवगंगाई
	तिरुवनामलाई
	विल्लूपुरम
त्रिपुरा	
	धलाई

जारी...

राज्य का नाम	जिले का नाम
उत्तर प्रदेश	आजमगढ़
	बांदा
	बाराबंकी
	चंदौली
	चित्राकूट
	फतेहपुर
	गोरखपुर
	हमीर पुर
	हरदोई
	जालौन
	जौनपुर
	कौशांबी
	लखीमपुर खीरी
	कुशी नगर
	ललित पुर
	महोबा
	मिर्जापुर

राज्य का नाम	जिले का नाम
	प्रतापगढ
	राय बरेली
	सीतापुर
	सोनभद्र
	उन्नाव
उत्तरांचल	
	चमोली
	चंपावत
	टिहरी गढ़वाल
पश्चिम बंगाल	
	द० परगना
	बांकुरा
	बीरभूम
	दिनाजपुर द०
	दिनाजपुर उ०
	जलपाईगुड़ी
	मालदा
	प० मिदनापुर
	मुर्शिदाबाद
	पुरूलिया

राष्ट्रीय स्तर के निगरानी कर्त्ताओं द्वारा चरण 2 के जिलों का दौरा

राज्य का नाम	जिले का नाम
आंध्र प्रदेश	
	नैल्लोर
	पूर्वी गोदावरी
	श्रीकाकुलम
	कुरनूल
	प्रकासम
	गुंटूर
अरुणाचल प्रदेश	
	चांगलांग
	लोहित
असम	
	मोरीगांव
	दरंग
	नलवारी
	बारपेटा
	हेलाकांडी
	कछार
बिहार	
	शेखपुरा
	सिवान
	खगड़िया
	मधेपुरा
	सहरसा
	सीतामढ़ी
	पश्चिमी चंपारन
	बांका
	भागलपुर
	पूर्वी चंपारन
	बेगूसराय
	गोपालगंज
	बक्सर

राज्य का नाम	जिले का नाम
	सारण
	अरवल
	जांजगीर–चंपा
	महासमुंद
	रायपुर
छत्तीसगढ	
	कोरबा
	जांजगीर–चंपा
	महासमंद
	रायपुर
गुजरात	
	वलसाड़
	भरूच
	नवसारी
हरियाणा	
	अंबाला
	मेवात
हिमाचल प्रदेश	
	कांगड़ा
	मंडी
जम्मू और कश्मीर	
	अनंतनाग
	जम्मू
झारखंड	
	पूर्वी सिंहभूम
	देवघर
कर्नाटक	
	बेल्लारी
	चिकमंगलूर
	बेलगांम
	शिमोगा
	कोडागू

जारी...

राज्य का नाम	जिले का नाम
केरल	
	इडुक्की
	कासरगोड
मध्य प्रदेश	
	छिंदवाड़ा
	हरदा
	पन्ना
	कटनी
	देवास
	गुना
	रेवा
	दतिया
	दमोह
	राजगढ़
	अनूपपुर
	अशोक नगर
	बुरहानपुर
महाराष्ट्र	
	थाणे
	वरधा
	बुलधना
	उसमानाबाद
	अकोला
	वाशिम
मणिपुर	
	चंदेल
	चुराचंदपुर
मेघालय	
	पूर्वी खासी हिल्स
	जैंतिया हिल्स
	रीभोई
मिज़ोरम	
	चम्पाई
	लुंगलई

राज्य का नाम	जिले का नाम
नागालैंड	
	कोहिमा
	मोकोकचुंग
	त्वेनसांग
	वोखा
उड़ीसा	
	बारगढ़
	अंगुल
	बालासोर
	भद्रक
	जाजपुर
पंजाब	
	नवांशहर
	जालंधर
	अमृतसर
राजस्थान	
	टोंक
	सवाई माधोपुर
	चित्तौड़गढ़
	बाड़मेर
	जालौर
	जैसलमेर
सिक्किम	
	पूर्वी सिक्किम
	दक्षिणी सिक्किम
त्रिपुरा	
	दक्षिण त्रिपुरा
	पश्चिमी त्रिपुरा
तमिलनाडु	
	तंजावूर
	तिरुवारूर
	तिरुनेलवेली
	करूर

जारी...

राज्य का नाम	जिले का नाम
उत्तरांचल	
	उधम सिंह नगर
	हरिद्वार
पश्चिम बंगाल	
	कूच बिहार
	नदिया
	बर्द्धमान
	पू० मिदनापुर
	उ० 24 परगना
	हुगली
	दार्जिलिंग
कुल दौरे	112

परिशिष्ट 5

एनआरईजीए के अंतर्गत रोजगार संवर्धन की रिपोर्ट, वित्त वर्ष 2006-07 के लिए (31 मार्च 2007 तक)

क्र. सं.	राज्य	रोजगार मांगने वाले परिवारों की संख्या	रोजगार पाने वाले परिवारों की संख्या	श्रम दिवस (लाख में)					उपलब्ध अनुदान	व्यय	जारी काम	पूरे हो चुके काम	कुल काम	100 दिन का रोजगार पूरा कर चुके परिवारों की संचयी संख्या
				कुल	अनु.जाति	अनु.जनजाति	महिलाएं	अन्य	लाख में	लाख में				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	आंध्र प्रदेश	2161494	2161395	678.77	202.41	88.31	371.93	388.05	114224.39	68020.32	133727	87571	221298	57946
2	अरुणाचल प्रदेश	16926	16926	4.53	0	4.53	1.36	0	1211.25	221.34	99	397	496	0
3	असम	798179	792270	572.92	49.57	265.05	181.43	258.3	70769.1	59252.93	5889	9518	15407	185160
4	बिहार	1708610	1688899	596.87	281	19.13	103.72	296.74	119117.81	71276.16	32122	29759	61881	60310
5	गुजरात	226269	226269	100.48	7.07	64.57	50.44	28.84	12374.74	8585.03	5292	3137	8429	12208
6	हरियाणा	50765	50765	24.12	14.48	0	7.38	9.64	4652.85	3594.67	667	985	1652	5626
7	हिमाचल प्रदेश	67187	63514	29.9	9.09	6.7	3.66	14.11	5719.2	3940.12	4004	4722	8726	16815
8	जम्मू और कश्मीर	121328	121328	32.3	1.75	7.5	1.44	23.05	5012.4	3454.44	1236	722	1958	11758
9	कर्नाटक	548532	545185	222.01	73.37	45.18	112.24	103.46	34131.33	24829.67	7638	11005	18643	69789
10	केरल	104927	99107	20.48	4.12	2.54	13.44	13.82	4835.18	2789.73	285	2756	3041	537
11	मध्य प्रदेश	2866349	2866349	1971.77	312.96	959.05	852.53	699.76	213368.36	186268.63	86610	82548	169158	531556
12	महाराष्ट्र	353024	353024	159.28	25.79	65.12	59.05	68.37	48693.66	17461.18	5568	5324	10892	5341
13	मणिपुर	18568	18568	18.57	0	18.57	9.45	0	2037.59	2025.5	714	901	1615	0
14	मेघालय	99177	96627	24.22	0.07	20.14	47	4.01	2583.63	2111.85	2074	850	2924	575
15	मिजोरम	52478	50998	7.85	0	7.85	2.62	0	2598.21	1643.11	47	216	263	5946
16	नागालैंड	27884	27884	13.08	0	13.08	3.92	0	1595.96	1457.62	4	124	128	0
17	उड़ीसा	1407251	1394169	799.34	189.06	393.87	284.58	216.41	89018.66	73346.62	32718	18803	51521	154118
18	पंजाब	31788	31648	15.57	10.8	0	5.88	4.77	3839.21	2500.21	579	749	1328	5327
19	राजस्थान	1175172	1175172	998.87	159.5	642.9	670.68	196.47	85617.3	69306.14	13278	8771	22049	639219
20	सिक्किम	4179	4107	2.42	0.02	2.38	0.6	0.03	456.5	261.89	55	103	158	222
21	तमिलनाडु	683708	683481	182.79	102.48	4.34	148.27	75.97	25210.92	15163.63	4506	2213	6719	1824
22	त्रिपुरा	74800	74335	50.13	7.98	31.17	37.6	10.98	4977.63	4507.68	867	4115	4982	19577
23	उत्तर प्रदेश	2676261	2573245	822.91	467.82	25.62	136.21	329.46	102871.22	77967.46	32516	42984	75500	154953
24	पश्चिम बंगाल	3235360	3083757	440.08	158.78	81.88	80.46	199.42	63023.42	39462.63	18780	24281	43061	18817
25	छत्तीसगढ़	1282794	1256737	700.21	84.08	318.98	275.29	297.15	84088.78	66882.16	16358	16105	32463	130302
26	झारखंड	1394108	1394108	520.47	122.19	209.7	205.46	188.59	98220.95	71155.13	39767	24048	63815	51065
27	उत्तरांचल	134363	134312	40.6	10.84	0.57	12.37	29.19	7105.31	4849.7	2827	4426	7253	3727
	कुल	**21188894**	**21016099**	**9050.56**	**2295.24**	**3298.73**	**3679**	**3456.6**	**1207355.571**	**882335.548**	**448227**	**387133**	**835360**	**2142718**

परिशिष्ट 6

वित्त वर्ष 2007–08 दौरान एनआरईजीए के अंतर्गत शुरू किए गए कामों की रिपोर्ट

राज्य	काम / गतिविधियां									कुल काम
	ग्रामीण सड़क निर्माण			बाढ़ नियंत्रण एवं संरक्षण			जल संरक्षण एवं जल शस्य संचय			
	संख्या			संख्या			संख्या			
	पूरा हो चुका	जारी	कुल	पूरा हो चुका	जारी	कुल	पूरा हो चुका	जारी	कुल	
आंध्र प्रदेश	170	331	501	0	11	11	41963	61058	103021	221298
अरुणाचल प्रदेश	52	14	66	3	0	3	29	9	38	496
असम	5219	3246	8465	1057	646	1703	612	388	1000	15407
बिहार	15800	11015	26815	963	1285	2248	4255	8694	12949	61881
गुजरात	424	1280	1704	181	76	257	2091	1188	3279	8429
हरियाणा	461	226	687	1	8	9	233	261	494	1652
हिमाचल प्रदेश	2502	2354	4856	402	252	654	475	321	796	8726
जम्मू और कश्मीर	182	262	444	203	368	571	70	146	216	1958
कर्नाटक	2937	2166	5103	666	434	1100	3869	3060	6929	18643
केरल	147	27	174	684	101	785	905	76	981	3041
मध्य प्रदेश	10178	16629	26807	606	355	961	35343	28743	64086	169158
महाराष्ट्र	171	546	717	54	32	86	3837	2379	6216	10892
मणिपुर	129	236	365	5	2	7	274	149	423	1615
मेघालय	291	696	987	9	56	65	381	392	773	2924
मिजोरम	160	27	187	12	9	21	24	3	27	263
नागालैंड	52	3	55	5	0	5	26	0	26	128
उड़ीसा	9689	13120	22809	296	303	599	2326	2580	4906	51521
पंजाब	454	378	832	54	0	54	0	0	0	1328
राजस्थान	1426	4351	5777	78	127	205	4271	5331	9602	22049
सिक्किम	17	6	23	55	40	95	7	1	8	158
तमिलनाडु	271	362	633	7	34	41	605	691	1296	6719
त्रिपुरा	1072	340	1412	184	8	192	1493	185	1678	4982
उत्तर प्रदेश	20606	14428	35034	2342	1164	3506	3168	6014	9182	75500
पश्चिम बंगाल	8223	5858	14081	2206	1194	3400	3850	3073	6923	43061
छत्तीसगढ़	4150	4463	8613	78	100	178	2095	2408	4503	32463
झारखंड	6347	5796	12143	83	54	137	8658	16468	25126	63815
उत्तरांचल	380	379	759	661	351	1012	2235	1047	3282	7253
कुल	**91510**	**88539**	**180049**	**10895**	**7010**	**17905**	**123095**	**144665**	**267760**	**835360**

Contd......

	काम/गतिविधियां									
	सूखारोधी			सूक्ष्म सिंचाई कार्य			अजा./अजजा. की जमीन पर सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था			
	संख्या			संख्या			संख्या			
राज्य	पूरा हो चुका	जारी	कुल	पूरा हो चुका	जारी	कुल	पूरा हो चुका	जारी	कुल	कुल काम
आंध्र प्रदेश	9083	30124	39207	3709	4704	8413	173	256	429	221298
अरुणाचल प्रदेश	182	43	225	0	0	0	0	0	0	496
असम	151	149	300	355	378	733	157	85	242	15407
बिहार	399	784	1183	689	1810	2499	107	153	260	61881
गुजरात	142	328	470	81	49	130	0	1986	1986	8429
हरियाणा	21	2	23	123	52	175	0	0	0	1652
हिमाचल प्रदेश	142	81	223	192	349	541	17	6	23	8726
जम्मू और कश्मीर	3	69	72	48	76	124	66	142	208	1958
कर्नाटक	717	778	1495	385	229	614	749	451	1200	18643
केरल	34	0	34	202	18	220	100	0	100	3041
मध्य प्रदेश	6575	4652	11227	1217	2420	3637	20701	26093	46794	169158
महाराष्ट्र	811	1292	2103	3	18	21	0	0	0	10892
मणिपुर	171	112	283	87	71	158	0	0	0	1615
मेघालय	16	470	486	4	132	136	15	26	41	2924
मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263
नागालैंड	16	1	17	13	0	13	0	0	0	128
उड़ीसा	894	722	1616	74	1463	1537	1129	10438	11567	51521
पंजाब	15	0	15	0	0	0	0	0	0	1328
राजस्थान	241	713	954	152	539	691	231	491	722	22049
सिक्किम	0	0	0	22	7	29	0	0	0	158
तमिलनाडु	7	0	7	369	1036	1405	0	0	0	6719
त्रिपुरा	214	6	220	318	18	336	69	0	69	4982
उत्तर प्रदेश	3916	829	4745	2452	403	2855	304	485	789	75500
पश्चिम बंगाल	3373	3459	6832	1517	671	2188	402	370	772	43061
छत्तीसगढ़	3572	774	4346	143	569	712	61	492	553	32463
झारखंड	106	316	422	142	434	576	3178	11952	15130	63815
उत्तरांचल	393	682	1075	143	174	317	3	6	9	7253
कुल	**31194**	**46386**	**77580**	**12440**	**15620**	**28060**	**27462**	**53432**	**80894**	**835360**

जारी......

राज्य	काम / गतिविधियां									कुल काम
	परंपरागत जल राशियों का पुर्ननवीकरण			भूमि विकास			ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा स्वकृत कोई अन्य गतिविधि			
	संख्या			संख्या			संख्या			
	पूरा हो चुका	जारी	कुल	पूरा हो चुका	जारी	कुल	पूरा हो चुका	जारी	कुल	
आंध्र प्रदेश	5455	10195	15650	27018	27048	54066	0	0	0	221298
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	131	33	164	496
असम	155	48	203	1027	933	1960	785	16	801	15407
बिहार	967	2539	3506	176	405	581	6403	5437	11840	61881
गुजरात	112	302	414	102	81	183	4	2	6	8429
हरियाणा	68	25	93	75	93	168	3	0	3	1652
हिमाचल प्रदेश	239	108	347	77	123	200	676	410	1086	8726
जम्मू और कश्मीर	37	56	93	113	117	230	0	0	0	1958
कर्नाटक	537	316	853	241	204	445	904	0	904	18643
केरल	445	39	484	239	24	263	0	0	0	3041
मध्य प्रदेश	2032	1028	3060	5458	6534	11992	438	156	594	169158
महाराष्ट्र	39	18	57	93	100	193	316	1183	1499	10892
मणिपुर	7	0	7	228	144	372	0	0	0	1615
मेघालय	100	125	225	34	177	211	0	0	0	2924
मिजोरम	0	0	0	0	0	0	20	8	28	263
नागालैंड	5	0	5	7	0	7	0	0	0	128
उड़ीसा	1984	2876	4860	144	150	294	2267	1066	3333	51521
पंजाब	140	156	296	86	45	131	0	0	0	1328
राजस्थान	2141	1293	3434	158	224	382	73	209	282	22049
सिक्किम	1	1	2	1	0	1	0	0	0	158
तमिलनाडु	954	2383	3337	0	0	0	0	0	0	6719
त्रिपुरा	193	219	412	176	12	188	396	79	475	4982
उत्तर प्रदेश	4957	6210	11167	2215	951	3166	3024	2032	5056	75500
पश्चिम बंगाल	2262	2316	4578	1624	1064	2688	824	775	1599	43061
छत्तीसगढ़	949	1569	2518	3386	5866	9252	1671	117	1788	32463
झारखंड	1941	2545	4486	1126	1044	2170	2467	1158	3625	63815
उत्तरांचल	204	124	328	33	16	49	374	48	422	7253
कुल	**25924**	**34491**	**60415**	**43837**	**45355**	**89192**	**20776**	**12729**	**33505**	**835360**

परिशिष्ट 7

एनआरईजीए के अंतर्गत अनुदानों का उपयोग, वित्त वर्ष 2006–07 के लिए (31 मार्च 2007 तक)

क्र. सं.	राज्य	साल की 1 अप्रैल को वास्तविक ओबी	पिछले साल जारी परंतु इस साल प्राप्त राशि			चालू वर्ष के दौरान जारी राशि			मिश्रित प्राप्ति	कुल उपलब्धता (कॉलम 6 + 9)	संचयी व्यय				
			केंद्र	राज्य	कुल	केंद्र	राज्य	कुल			अकुशल श्रमिकों के वेतन पर	अर्द्धकुशल और कुशल श्रमिकों के वेतन पर	वस्तुओं पर	संबंधित व्यय	कुल (12+13+14+15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	आंध्र प्रदेश	888	7624.96	0	7624.96	99961.43	5750	105711.43	0	114224.39	58422.46	146.48	1049.66	8401.72	68020.32
2	अरुणाचल प्रदेश	0.4	0	0	0	1210.85	0	1210.85	0	1211.25	218.91	0	0	2.43	221.34
3	असम	16371.63	15236.82	0	15236.82	23970.85	618	24588.85	14571.8	70769.1	38369.19	3472.63	16529.93	881.18	59252.93
4	बिहार	49564.03	9631.84	0	9631.84	48581.38	8015.95	56597.33	3324.62	119117.81	41859.88	4381.53	24603.2	431.55	71276.16
5	गुजरात	4013.76	591.52	0	591.52	6743.94	745.39	7489.33	280.13	12374.74	5583.01	121.23	1134.72	1746.06	8585.03
6	हरियाणा	1169.58	37.17	0	37.17	3129.39	312.94	3442.33	3.77	4652.85	2329.77	84.36	1128.78	51.76	3594.67
7	हिमाचल प्रदेश	1146.64	0	55.55	55.55	4207.64	229.86	4437.5	79.51	5719.2	2057.58	383.11	1475.65	23.77	3940.12
8	जम्मू और कश्मीर	732.94	151.14	0	151.14	3776.37	331.74	4108.11	20.21	5012.4	2242.15	717.11	445.37	49.81	3454.44
9	कर्नाटक	7849.21	1277.7	113.51	1391.21	22970.69	1920.22	24890.91	0	34131.33	14774.24	329.36	9439.87	286.2	24829.67
10	केरल	1162.05	0	0	0	3179.51	476.4	3655.91	17.22	4835.18	2474.63	42.6	96.43	176.07	2789.73
11	मध्य प्रदेश	2412.88	1467.28	25.84	1493.12	186954.2	20811.53	207765.73	1696.63	213368.36	117350.36	9341.7	56657.9	2918.67	186268.6
12	महाराष्ट्र	24624.22	3888.68	0	3888.68	19235.64	529.32	19764.96	415.8	48693.66	16517.89	676.98	182.9	83.41	17461.18
13	मणिपुर	243.4	436.63	0	436.63	1252.89	100.75	1353.64	3.92	2037.59	1385.87	230.61	368.52	40.5	2025.5
14	मेघालय	2.6	0	0	0	2564.68	0	2564.68	16.35	2583.63	1767.46	4.63	316.77	22.99	2111.85
15	मिजोरम	645.7	129.44	9.8	139.24	1783.9	0	1783.9	29.37	2598.21	1375.63	15.21	174.9	77.37	1643.11
16	नागालैंड	515.86	498.42	45	543.42	430.11	99	529.11	7.57	1595.96	863.62	12.05	532.15	49.8	1457.62
17	उड़ीसा	3236.04	1293.73	431.25	1724.98	76230.49	7623.04	83853.53	204.11	89018.66	42197.66	4236.49	26062.5	849.97	73346.62
18	पंजाब	340.16	398.77	0	398.77	2755.75	323.39	3079.14	21.14	3839.21	1464.01	0	975.06	61.14	2500.21
19	राजस्थान	1905.08	0	0	0	76161	7551.22	83712.22	0	85617.3	50726.51	2050.63	15608.08	920.92	69306.14
20	सिक्किम	0	0	0	0	451.5	5	456.5	0	456.5	211.23	0	50.66	0	261.89
21	तमिलनाडु	3293.81	1402.8	0	1402.8	17089.21	2538.49	19627.7	886.61	25210.92	14628.18	0	0	535.45	15163.63
22	त्रिपुरा	905.26	1688	0	1688	1914.66	450	2364.66	19.71	4977.63	3007.8	204.42	1215.46	80	4507.68
23	उत्तर प्रदेश	28308.37	12975.68	10.47	12986.15	56914.69	3344.75	60259.44	1317.26	102871.22	46209.24	3051.48	27215.87	1490.87	77967.46
24	पश्चिम बंगाल	16625.97	5621.4	0	5621.4	35858.84	3984.3	39843.14	932.91	63023.42	30814.68	862.23	6801.78	983.94	39462.63
25	छत्तीसगढ़	5777.04	123.78	21.03	144.81	70130.74	7748.72	77879.46	287.47	84088.78	43156.49	1904.83	20772.26	1048.58	66882.16
26	झारखंड	31845.83	4300.17	307.99	4608.16	54994.59	6016.31	61010.9	756.06	98220.95	41286.36	3831.65	25188.81	848.31	71155.13
27	उत्तरांचल	1711.09	660.66	29.23	689.89	3910.6	765.61	4676.21	28.12	7105.31	2942.07	71.2	1677.35	159.08	4849.7
	कुल	**205291.55**	**69436.59**	**1049.7**	**70486.26**	**826365.54**	**80191.18**	**906556.7**	**24916.4**	**1207355.6**	**584236.9**	**36172.52**	**239705**	**22221.55**	**882336**

सत्यमेव जयते

ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग
भारत सरकार
नई दिल्ली